

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: सामान्य/चिकित्सा/2020/30765

दिनांक 30 मार्च, 2020


:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र तथा जिले के समस्त शहरी क्षेत्र (भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र एवं समस्त नगर पालिका क्षेत्र) में निवासरत असहाय, निराश्रित, बेघर एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन (फूड पैकट) एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण स्वयं सेवी संगठनों, भामाशाह/दानदाताओं/संस्थाओं द्वारा अपने स्तर पर किया जा रहा है। जिससे कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका है।

अतः स्वयं सेवी संगठनों, भामाशाह/दानदाताओं/संस्थाओं द्वारा भोजन/सामग्री के लिए जा रहे वितरण को उनके स्तर पर नहीं कराया जावे। उनसे प्राप्त भोजन एवं अन्य सामग्री को प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के माध्यम से पूर्ण सजगता एवं सावधानी के साथ मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो कराते हुए ही करवाया जावे। ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से बचाव हो सके।


आदेश की सभी संबंधित द्वारा त्वरित पालना सुनिश्चित की जावे।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
10. प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, भीलवाड़ा
11. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
12. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा

14. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
15. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
16. आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा
17. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
18. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
19. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
20. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
21. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
22. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
23. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
24. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
25. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा